



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022026-270545
CG-DL-E-28022026-270545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 973]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947

No. 973]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 1017(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 239 (अ), दिनांक 24 मार्च, 1998 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नया एनएच -16) के कि.मी. 354.775 से कि.मी. 434.150 (चिलकलुरिपेट - विजयवाड़ा खंड) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नया एनएच -16) के किलोमीटर 30.000 से किलोमीटर 47.881 तक विजयवाड़ा बाईपास (पैकेज-IV), गोल्लापुडी - चिन्नकाकानी खंड के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 37.48 किमी (3.748 किमी की लंबाई वाली (सारणी-3) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और 10 करोड़ रु. या उससे अधिक की लागत वाले 13.888 कि.मी. (सारणी 2) लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना

पर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. उपर्युक्त के अतिरिक्त, नीचे दिए गए बाईपास के उपयोग के लिए नीचे दिए गए शुल्क प्लाज़ा पर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर का डेढ़ गुना शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी 2						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वेंकटपालेम गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नया एनएच-16) के (नया एनएच-16) के किमी 35.400 पर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नया एनएच-16) का विजयवाड़ा बाईपास (पैकेज-IV)	डिजाइन किमी 30.000	डिजाइन किमी 47.881	13.888 (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर)	1546.31	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

2. ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दर पर, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-3			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित अवसंरचना की लंबाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वेंकटपालेम गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नया एनएच-16) के किमी 35.400 पर	3.748 [^]	37.48	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1.	30.295	33.415	कृष्णा नदी पर बड़ा पुल	3.120
2.	33.688	33.761	फ्लाईओवर	0.073
3.	34.892	35.003	पलावागु पर बड़ा पुल	0.111
4.	38.842	39.158	कोंडावीटीवागु पर बड़ा पुल	0.316
5.	45.267	45.395	आरओबी	0.128
कुल				3.748

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00/-रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-4		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1194.567 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एपीडीआईवी-20/103/2025-पीआईयू अमरावती (एपी)/ई-256596]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

S.O. 1017(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) Number S.O. 239(E) dated the 24th March, 1998 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km.354.775 to Km.434.150 (Chilakaluripet – Vijayawada section) of National Highway No. 5 (New NH-16) in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for equivalent structure length (having length more than 60m) of 37.48 km (having length of 3.748 km [Table-3]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 13.888 km [Table-2] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in Table 1 below of Vijayawada Bypass (Package-IV), Gollapudi – Chinnakakani section from Km.30.000 to Km.47.881 of National Highway No. 5 (New NH-16) in the state of Andhra Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Fee Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table 1 above for the length of bypass(es) specified for such Fee Plaza(s) : -

Table-2						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km.35.400 of National Highway No.5 (New NH-16) near Venkatapalem village in Guntur district of Andhra Pradesh	Vijayawada Bypass (Package-IV) of National Highway No. 5 (New NH-16)	Design km 30.000	Design km 47.881	13.888 (excluding length of structures having more than 60m)	1546.1	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10, at the base rate mentioned in Table 1 above : -

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable)
At Km.35.400 of National Highway No.5 (New NH-16) near Venkatapalem village in Guntur district of Andhra Pradesh	3.748 [^]	37.48	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
(i)	30.295	33.415	Major Bridge on River Krishna	3.120
(ii)	33.688	33.761	Flyover	0.073
(iii)	34.892	35.003	Major Bridge on Pala vagu	0.111
(iv)	38.842	39.158	Major Bridge on Kondaveetivagu	0.316
(v)	45.267	45.395	ROB	0.128
Total				3.748

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs.340/- (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-2026 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated net capital cost of the project is ₹1194.567 Cr. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. APDIV-20/103/2025-PIU Amravati (AP) E-256596]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.